

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं० 09/उपा०कीट०अनु०-24/2014

/कृ० पटना, दिनांक मई, 2015

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह, मा० प्र० से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

डा० गोविन्द देव मिश्र,  
मेसर्स सदगुरु एग्री इनपुट प्रा०लि०,  
H/O-प्रेम रंजन उर्फ पप्पु,  
पिता-स्व० प्रेम नारायण सिन्हा,  
इन्द्रपुरी, सिपारा नियर-एस० बी० आई०  
पटना-800020

विषय : कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति सं०-119 दिनांक 19.07.2014 बैद्यता तिथि 31.12.2015 में संशोधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-3216 दिनांक 19.07.2014 एवं पत्रांक 4153 दिनांक 22.09.2014 की कंडिका-2 द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या-119 दिनांक 19.07.2014 बैद्यता तिथि 31.12.2015 अन्तर्गत मार्केटिंग एग्रीमेंट की बैद्यता तिथि 31.03.2015 तक कीटनाशी व्यवसाय की अनुमति दी गई है।

वर्तमान में प्रतिष्ठान से प्राप्त आवेदन कोषागार चलान मार्केटिंग एग्रीमेंट एवं अन्य कागजातों के आधार पर पत्रांक-3216 दिनांक 19.07.2014 एवं पत्रांक 4153 दिनांक 22.09.2014 की कंडिका-2 को संशोधित करते हुए निम्नांकित कीटनाशियों का अनुज्ञप्ति संख्या-119 दिनांक 19.07.2014 अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की वैद्यता तिथि 31.12.2015 तक के लिए राज्य में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है।

1. Neem Seed Kernel based EC Containing Azadirachtin 0.15% EC
  2. Neem Kernel based EC Containing Azadirachtin 0.3% w/w min (3000 PPM)
  3. Trichoderma Viride 1% WP
- 2- शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

2763

/कृ०, पटना, दिनांक 12 मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।